**भारत सरकार**
**पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय**

**लोक सभा**

अतारांकित प्रश्न सं. **3291** जिसका उत्तर
**शुक्रवार, 8 अगस्त, 2025/ 17 श्रावण, 1947 (शक)** को दिया जाना है

**मुंबई पत्तन प्राधिकरण की भूमि पर काबिज लोगों को नोटिस**

**†3291. श्री अरविंद गणपत सावंत:**

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुंबई पत्तन प्राधिकरण (एमबीपीटी) की भूमि पर रहने वाले कितने निवासियों/कब्जाधारियों को सरकारी स्थान अधिनियम के अंतर्गत नोटिस जारी किए गए हैं;

(ख) ऐसे नोटिस जारी करने के क्या कारण हैं और उक्त अधिनियम में क्या प्रावधान हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में विभिन्न निवासियों, किरायेदार संगठनों और संसद सदस्यों से कई अभ्यावेदन और शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) ऐसे निवासियों/कब्जाधारियों के मुद्दों का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा ऐसे अभ्यावेदनों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में नवीनतम स्थिति का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री**
**(श्री सर्बानंद सोणोवाल)**

**(क) और (ख):** सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (पीपीई अधिनियम) की धारा 4(1) के अंतर्गत पट्टों की समाप्ति और पट्टों की शर्तों के उल्लंघन जैसे अवैध उप-किरायेदारी/उप-पट्टेदारी/असाइनमेंट/उपयोग में परिवर्तन/अनधिकृत निर्माण/मुआवजे की बकाया राशि का भुगतान न करना आदि के कारण निवासियों/कब्जाधारियों को कुल 191 नोटिस जारी किए गए हैं।

**(ग) से (ङ):** जी, हाँ। यह कार्रवाई महापत्तनों के लिए भूमि प्रबंधन नीति दिशानिर्देश (पीजीएलएम), 2015 के अनुसार की गई है।

*****